1. विभाग का नाम - उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, फर्रुखाबाद
2. कार्यालय - जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, ठण्डी सड़क, फर्रुखाबाद

फोन0 नं0 - 05692 223814

योजनायें : - विभाग द्वारा रोजगार परक दो योजनायें संचालित हैं -

1. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना :- यह योजना ब्याज उपादान योजना के नाम से भी जानी जाती है। इसके अर्न्तगत उद्योग लगानें वाले इच्छुक व्यक्तियों को 5.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है। योजना लागत में सामान्य वर्ग का 10 प्रतिशत व अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं लगाना पड़ता है। बैंक का जो ब्याज लगता है उसमें से उद्यमी को 4 प्रतिशत वहन करना पड़ता है। 4 प्रतिशत के अतिरिक्त बैंक का ब्याज विभाग द्वारा उद्यमी को बैंक खाते में दिया जाता है जो अधिकतम 10 प्रतिशत तक देय होता है। इस योजना में नशा व हिंसा से सम्बन्धित उद्योग प्रतिबंधित है।

पात्रता :- इस योजना में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी शिक्षित बेरोजगार, परम्परागत कारीगर, भूतपूर्व सैनिक, महिला आदि पात्र होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में ही उद्योग स्थापित करेंगे।

चयन :- जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उद्यमी का चयन किया जाता है।

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :- इस योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगानें के लिए 25.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है तथा कुल योजना लागत में सामान्य वर्ग(पुरुष) का 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग का 5 प्रतिशत अंश स्वयं वहन करना पड़ता है इस योजना में सामान्य वर्ग (पुरुष) को 25 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य सभी वर्ग के उद्यमियों को योजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जो ऋणदाता बैंक को मांग करनें पर बैंक नोडल शाखा अथवा उस बैंक को नामित बैंक शाखा से मिलता है जो ऋणदाता बैंक में सावधी जमा के रूप में रहता है। इस अनुदान राशि पर उद्यमी को ब्याज देय नहीं होता है तथा अनुदान की

क्रमशः..............2

धनराशि के बराबर ऋण पर भी ब्याज बैंक द्वारा नहीं लिया जाता है। इकाई के सफल संचालन पर निश्चित अवधि के उपरान्त अनुदान की धनराशि ऋण खाते में समायोजित की जाती है।

पात्रता :- इस योजना में विनिर्माण के क्षेत्र में 10.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 5.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 पास होनी आवश्यक है। तथा इकाई की स्थापना ग्रामीण अंचल में ही स्थापित की जानी है।

चयन :- जिलाधिकरी महोदय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति में साक्षात्कार के आधार पर पात्र उद्यमी का चयन किया जाता है। तत्पश्चात आवश्यक संलग्नकों के साथ ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखा को प्रेषित किया जाता है।

कार्यालय का सामान्य विवरण

1. एक – प्रबन्धक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
   सम्पर्क सूत्र – 05692 – 223814 व 9450205363

2. दो – सहायक विकास अधिकारी
   सम्पर्क सूत्र – 05692 223814

3. एक – औद्योगिक सहकारी निरीक्षक
   सम्पर्क सूत्र – 05692 223814

4. एक – लिपिक/टंकण
   अधिकारी सहित कुल 5 लोग कार्यरत हैं।

(विनोद कुमार)
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
फर्रुखाबाद